भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5660
26.07.2019 को उत्तर के लिए

वनों का संरक्षण

5660. श्री रामदास तडस:
श्री रवि किशन:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास वनों के संरक्षण और वन क्षेत्र से विस्थापित लोगों के पुनर्वास हेतु कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान वन क्षेत्रों से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने लोग विस्थापित हुए हैं; और

(घ) वन क्षेत्रों से विस्थापित लोगों के पुनर्वास हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (घ) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वनों के संरक्षण हेतु कई स्कीमें कार्यान्वित करता है, नामश:

i. दावानल निवारण और प्रबंधन
ii. हरित भारत मिशन
iii. राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम
iv. बाघ परियोजना
v. हाथी परियोजना
vi. वन्यजीव वास-स्थलों का विकास
vii. जैवविविधता संरक्षण

तथापि, मंत्रालय के पास ऐसी कोई विशिष्ट स्कीम नहीं है जो वनों के संरक्षण और वन क्षेत्रों से विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास का समाधान कर सके। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (एफआरए, 2006) में जनजातियों और अन्य वन निवासियों के अधिकारों की सुरक्षा/ सुरक्षोपाय करने के लिए प्रावधान मौजूद है। वन क्षेत्रों, जिन्हें गैर-वानिकी संबंधी कार्यकलापों के लिए अनुमत किया गया है, से विस्थापित किए गए जनजातियों के अधिकारों के व्यवस्थापन/ निपटान की प्रक्रिया के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और एफआरए, 2006 में भली-भांति निर्धारित प्रक्रिया मौजूद है।

इसके अतिरिक्त, कोर/ महत्वपूर्ण बाघ रिजर्वों और सुरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों) के कोर स्थल से आरक्षित वन क्षेत्रों/ अभयारण्यों/ राष्ट्रीय उद्यानों के परिधीय क्षेत्र तक कतिपय शर्तों के अध्यधीन ग्रामवासियों के पुनर्वास/ पुन: अवस्थापित करने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 28 जनवरी, 2019 के अपने आदेश में दिए गए निदेश के अनुसार, भारत सरकार

के दिनांक 20 मई, 2019 के पत्र सं. एफ.सं. 8-34/2017-एफसी द्वारा गांवों की पुन: अवस्थापना हेतु दिशानिर्देश जारी किए गए थे।

यदि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत अपवर्तित किए जाने के लिए प्रस्तावित वन क्षेत्र से कोई परियोजना प्रभावित व्यक्ति (पीएपी) को पुन: अवस्थापित किए जाने की आवश्यकता है, तब उसका समाधान संबंधित राज्य सरकार की आरएण्डआर नीति के अनुसार विधिवत अनुमोदित की गई पुनर्वास और पुन: व्यवस्थापन (आरएण्डआर) पैकेज के माध्यम से किया जाता है।

वन क्षेत्रों से विस्थापित हुए लोगों की संख्या के संबंध में सूचना का रखरखाव मंत्रालय के स्तर पर नहीं किया जाता है।

******